बिहार सरकार

खाद्य एव उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

बिहार चावल एवं धान अधिप्राप्ति (उदग्रहण) आदेश, 2011

जी0 एस0 आर0 ..... पटना, दिनांक 2011

चूँकि, बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि चावल की आपूर्ति बनाये रखने तथा उचित मूल्य पर इसके साम्यपूर्ण वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदेश निर्गत करना उनके लिए आवश्यक एवं समीचीन है ।

इसलिए, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं जन वितरण विभाग की अधिसूचना सं0 जी0 एस0 आर0 490 (ई) दिनांक 16 जून, 03 के साथ पठित एवं उक्त अधिसूचना में यथा उल्लिखित भारत सरकार की पूर्व सहमति से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम–10, 1955) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश पुरःस्थापित करते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(1) यह आदेश बिहार चावल तथा धान अधिप्राप्ति (उदग्रहण) आदेश, 2011 कहलाएगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से दिनांक– 31.08.2012 तक खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के लिए प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं : जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश में :–

(क) जिला के सम्बन्ध मं "समाहर्त्ता" से अभिप्रेत है जिला दंडाधिकारी तथा इसमें शामिल है इस आदेश के अधीन समाहर्त्ता के सभी या किन्ही कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत जिला में पदस्थापित सरकार का अन्य पदाधिकारी ।

(ख) "ग्राहक (कस्टम) मिल" से अभिप्रेत है ऐसा चावल मिल जहां नकद या वस्तु रूप में धान की कुटाई के भुगतान पर धान को चावल में बदला जाता है ।

(ग) "प्रवर्तन पदाधिकारी" से अभिप्रेत तथा इसमें शामिल है उप निदेशक (खाद्य), जिला दंडाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), अपर समाहर्त्ता, विशेष प्रभारी पदाधिकारी, उप अनुभाजन पदाधिकारी, सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, खाद्य आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उप आरक्षी महानिरीक्षक (खाद्य) आरक्षी अधीक्षक (खाद्य) आरक्षी उपाधीक्षक (खाद्य) तथा निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का कोई आरक्षी पदाधिकारी ।

(घ) "खाद्य निगम" से अभिप्रेत है, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (अधिनियम –37, 1964) की धारा – 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम ।

(ड़) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार ।

(च) "मिल मालिक" से अभिप्रेत है, धान–कुटाई एवं चावल उत्पादन में लगे चावल मिल के मालिक ।

(छ) "धान" से अभिप्रेत है, अनुसूची–I में वर्णित किस्मों के धान ।

(ज) "चावल" से अभिप्रेत है, अनुसूची–II में वर्णित किस्मों के चावल ।

(झ) "अधिप्राप्ति मूल्य" से अभिप्रेत है, क्रमशः अनुसूची III तथा IV में वर्णित धान एवं चावल के विभिन्न किस्मों के लिए भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य ।

(ञ) "चावल मिल" से अभिप्रेत है, संयंत्र उसकी मशीनरी तथा उसकी प्रसीमा सहित उसका ऐसा परिसर जिसमें या जिसके किसी भाग में चावल कुटाई की जाती है ।

(ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची ।

(ठ) "एक रूप विनिर्देश" से अभिप्रेत है, क्रमशः धान और चावल के लिए अनुसूची I एवं II के विनिर्देशों के अनुरूप ।

(ड) "राज्य अभिकर्त्ता" से अभिप्रेत है, भारतीय खाद्य निगम ।